**भारत सरकार**
**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 847**
**(दिनांक 05.02.2021 को उत्तर देने के लिए)**

## दूरदर्शन और आकाशवाणी में रिक्तियां

**847. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी (एआईआर) अपेक्षित श्रमबल की 50 प्रतिशत से भी कम संख्या के साथ कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) दूरदर्शन और आकाशवाणी में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी के कर्मचारियों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

**(क):** आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन अपने स्वीकृत कार्मिक संख्या से लगभग 50% पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि प्रसार भारती भर्ती बोर्ड, जिसे प्रसार भारती के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करने हेतु प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 में अधिदेशित किया गया था, की स्थापना नहीं हुई है।

**(ख):** भारत सरकार ने दिनांक 12.02.2020 को 'प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) भर्ती बोर्ड स्थापना नियमावली 2020' अधिसूचित की है। तदनुसार, प्रसार भारती ने सीधी भर्ती रिक्तियों को भरने के लिए 01.07.2020 को प्रसार भारती भर्ती बोर्ड स्थापित किया है।

इसके अलावा, पदोन्नति की रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित की जा रही हैं।

**(ग):** जी नहीं।

**(घ):** प्रश्न नहीं उठता।

****